न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवानः— सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा बनाम तहसीलदार सीकर
किस्मः— प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957
मु.न.— वि.130 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
05/08/2025	तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक—राजस्व / 2025 / 829 दिनांक 27.06.2025 द्वारा राजस्व ग्राम लक्ष्मणा का बास पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1092 में से गुजर रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम लक्ष्मणा का बास पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1092 में से मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं तथा रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम लक्ष्मणा का बास पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1092 रकबा 2.82 हैक्ट में से 0.0250 हैक्ट भूमि को रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर	